

प्रेषक

अरूण कुमार सिंह

प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग,

डिहरी/दरभंगा/सहरसा/नालंदा/मोतीहारी/गया/औरंगाबाद/भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 04.01.2018

विषय- रब्बी सिंचाई अनुदेश 2017-18

महाशय,

रब्बी सिंचाई अभियान 2017-18 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को योजनाबद्ध तरीके से रब्बी उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक ढंग से समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष 2017-18 में रब्बी सिंचाई लक्ष्य का निर्धारण मुख्यतः क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से प्रस्तावित लक्ष्य/विगत वर्षों का अधिकतम सिंचाई एवं सी0सी0ए0 को आधार मान कर वितरणी एवं लघु नहर स्तर तक किया गया है । नहरों के निर्धारित लक्ष्य की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2. इस वर्ष रब्बी मौसम से राज्य के जल संसाधन विभाग की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 4.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । रब्बी सिंचाई 2017-18 के लिए मुख्य अभियन्ताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । रब्बी सिंचाई के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं-

(i) नहरों के प्रत्येक लॉक पर सिंचाई अवधि में एक दैनिक पंजी रखी जायेगी जिसमें प्रभारी पदाधिकारी हस्ताक्षर दर्ज करेंगे एवं प्रत्येक सप्ताह संबंधित पंचायत या कृषक समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा ।

(ii) उपर्युक्त निरीक्षण प्रक्रिया कार्यपालक अभियन्ता एवं संबंधित असैनिक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी संयुक्त रूप से अपनायी जायेगी ।

(iii) नहरों में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा रब्बी 2017-18 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय ताकि लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(iv) रब्बी सिंचाई 2017-18 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए सिंचाई उपलब्धि की सूचना साप्ताहिक में विभागीय सिंचाई मोनिटरिंग, अंचल, पटना को अवश्य उपलब्ध करा देगे । सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्रतिदिन नहरों का खैरियत प्रतिवेदन देना भी सुनिश्चित करेंगे ।

(v) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-यो0मो0-4-कार्य 10-1400/2001-220 दिनांक-12-04-2004 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियन्ता मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगे । जहाँ तातिल प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी लिए जाने की शिकायतें हैं, वहाँ इस पर विशेष ध्यान देंगे तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातिल प्रथा लागू कर पानी छोड़ने की व्यवस्था करेंगे । तातिल व्यवस्था में व्यवधान आने पर संबंधित जिलाधिकारी से सहायता प्राप्त करेंगे और इसकी सूचना सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को देगे ।

(vi) तातिल प्रथा से संबंधित कार्यपालक अभियंता नियमित रूप से स्थल भ्रमण कर कृषकों की कठिनाईयों को दूर करेंगे साथ ही प्रत्येक कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ।

(vii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उप वितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से गश्ती करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन पक्षवार सिंचाई कोषांग को उपलब्ध करावेगे ।

(viii) मुख्य शीर्ष एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर की जाय । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेंगे तथा की गयी दैनिक कार्रवाई से संबंधित सूचना सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करावेगे ।

(ix) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं प्रत्येक अनुमंडल को एक कमांड मैप होना चाहिये जो ग्रामीण नक्शे पर अंकित रहेगा । कनीय अभियन्ता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे तथा इसका भी लेखा रखेंगे कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेंगे । नक्शा उपलब्ध नहीं होने पर कार्यपालक अभियन्ता पूर्णरूपेण व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।


(x) उपलब्ध पानी में कमी के कारण इनके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेंगे ।

(xi) मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राप्त होता रहे एवं इससे सम्बन्धित साप्ताहिक सिंचाई प्रतिवेदन प्रमंडलवार, जिलावार, प्रखण्डवार एवं प्रणालीवार विहित प्रपत्र में नियमित रूप से विभागीय सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को समय पर भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

3. रब्बी सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। प्रत्येक पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य में लगे हैं, उनका यह प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से उपलब्धि अधिक हो । जिसके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सिंचाई होगा वे प्रशस्ति पत्र के अधिकारी होंगे, जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के, लक्ष्य से उपलब्धि कम होगा उनकी चारित्रि में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायगी ।

अनुलग्नक:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2017-18

विश्वासभाजन



(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं०यो०मो०-43/2017- 02

/पटना, दिनांक- 04.01.2018

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ आयुक्त, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार/ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/ सभी अध्यक्ष कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रभारी कंप्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2017-18



(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं०यो०मो०-43/2017- 02

/पटना, दिनांक- 04.01.2018

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2017-18


(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
रबी सिंचाई 2017-18 का लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	रबी 2017-18 हेतु प्रभावी सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2016-17 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2016-17 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2017-18 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (प्रभावी सी.सी. के विरुद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	488552	488552	250,371	221,278	229623	229883	47.05	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	55167	55167	33,780	30,158	25863	30158	54.67	
	मध्यम सिंचाई योजना	76216	61512	17,625	17,080	12482	12392	20.15	पानी की कमी
	कुल	619935	605231	301776	268516	267968	272433	45.01	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	140053	109213	2,810	2,018	275	275	0.25	
गया	मध्यम सिंचाई योजना	53977	52247	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	24208	17607	2,100	355	355	355	2.02	
	कुल	78185	69854	2100	355	355	355	0.51	
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	75844	62393	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54227	54227	23,135	14,506	14506	15656	28.87	
	पटना मुख्य नहर	75379	75379	21,235	18,605	19600	24536	32.55	
	मध्यम सिंचाई योजना	16156	12186	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	कुल	221606	204185	44370	33111	34106	40192	19.68	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	594730	498392	146037	128007	3700	3700	0.74	अधिकांश नहरों का पुनर्स्थापन कार्य
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	202382	36334	5166	2492	1960	2116	5.82	नहर निर्माणाधीन
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	37433	23216	2232	2245	2308	2308	9.94	पानी की कमी
	कुल	239815	59550	7398	4737	4268	4424	7.43	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	571665	480665	150793	147562	88872	98524	20.50	आंशिक पुनर्स्थापन कार्य
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	366577	320000	121177	109492	0	0	0.00	पुनर्स्थापन कार्य
	कुल(गंडक परियोजना):-	938242	800665	271970	257054	88872	98524	12.31	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	68087	68087	5,160	3,170	0	0	0.00	पुनर्स्थापन कार्य
	बदुआ जलाशय योजना	37473	37473	9,909	7,411	0	0	0.00	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	110536	101089	10,421	9,378	10104	10129	10.02	पानी की कमी
	कुल(भागलपुर परिक्षेत्र):-	216096	206649	25490	19959	10104	10129	4.90	
	कुलयोग	3048662	2553739	801951	713757	409648	430032	16.84	